म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क. / बोर्ड / यो.गै.तक. / 77 / 2018–19 / 891 भोपाल, दिनांक 24 / 05 / 2018

प्रति,

सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति...(समस्त)
जिला ....(म.प्र.)

विषय :– मंडी प्रांगण में कृषकों एवं हम्माल / तुलावटियों को रूपये 5 / –प्रति थाली भोजन योजना में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ :– मण्डी बोर्ड मुख्यालय का पत्र कमांक / मण्डी / प्रांगण / 45 / 48 / 2388 दिनांक 31.03.2011

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। जिसमें "अ" एवं "ब" वर्ग की मंडियों में कृषकों के भोजन के लिये मण्डी समितियों को दी जाने वाली प्रति कृषक अधिकतम राशि 10 / –रूपये की मण्डी समिति वहन करेगी। "स" वर्ग की मंडियों में अधिकतम 10 / –रूपये की सबसिडी की राशि 50 प्रतिशत मण्डी समिति तथा शेष 50 प्रतिशत मण्डी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में मण्डी सचिव से व्यय का पूर्ण विवरण प्राप्त होने के आधार पर वहन किया जावेगा, तथा "द" वर्ग की मण्डी में अधिकतम 10 / – रूपये प्रति कृषक के मान से अनुदान की शतप्रतिशत राशि बोर्ड द्वारा दी जाने का प्रावधान था।

उक्त संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन किया जाकर "अ" एवं "ब" वर्ग की मंडियों मे कृषकों एवं हम्माल / तुलावटियों के भोजन के लिये मण्डी समितियों को दी जाने वाली प्रति कृषक हम्माल / तुलावटी अधिकतम राशि 15 / –रूपये मण्डी समिति वहन करेगी। "स" वर्ग की मंडियों में अधिकतम 15 / –रूपये की सबसिडी की राशि 50 प्रतिशत मण्डी समिति तथा शेष 50 प्रतिशत मण्डी बोर्ड वहन करेगा। "द" वर्ग की मण्डी में अधिकतम 15 / – रूपये प्रति कृषक हम्माल / तुलावटी के मान से अनुदान की शतप्रतिशत राशि मण्डी बोर्ड द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार प्रति थाली भोजन की निविदा दर अधिकतम राशि रूपये 20 / – होगी ।

उक्त संशोधन पत्र जारी दिनांक से प्रभावशील होगा। योजना की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

प्रबंध संचालक–सह–आयुक्त
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल